

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 1470/2013

संस्थापित दिनांक 04/12/2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. फूल सिंह पुत्र छोटे लाल कुशवाह
उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम सरसेड़
पी.एस.मेहगांव हाल हरीराम का पुरा
कुशवाह कॉलोनी मालनपुर जिला
भिण्ड म.प्र.

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा—279, 304ए भा0द0स0)
(राज्य द्वारा एडीपीओ—श्री प्रवीण सिकरवार।)
(आरोपी द्वारा अधिवक्ता—श्री ए.के.राणा।)

::— निर्णय —::

(आज दिनांक 17/01/17 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 23/10/13 को शाम 7 बजे शर्मा होटल के पास ग्वालियर भिण्ड रोड मालनपुर में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाद स्वराज ट्रेक्टर क्र. एमपी07 एए 5607 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए संतोष में टक्कर मारकर उसे चोट पहुंचाकर उसकी आपराधिक मानव वध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित करने हेतु भा.दं.सं. की धारा 279 एवं 304ए के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 23.10.13 को को शाम लगभग 7 बजे फरियादी रवि अपनी बुआ के लड़के संतोष के साथ मोटरसाइकिल से ग्वालियर से ग्राम कोंथर पोरसा जा रहा था। मोटरसाइकिल को संतोष चला रहा था, वह पीछे बैठा था, वह लोग शर्मा होटल के पास ग्वालियर भिण्ड रोड मालनपुर पर पहुंचे थे, तभी भिण्ड की तरफ से ट्रेक्टर क्र. एमपी07 एए 5607 का चालक ट्रेक्टर को तेजी एवं लापरवाही से चलाते हुए लाया था और उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी जिससे वह लोग मोटरसाइकिल से गिर पड़े थे। संतोष के दाहिने पैर, सिर एवं माथे

पर चोट आयी थी फिर वह संतोष को उपचार हेतु जयारोग्य अस्पताल ग्वालियर लेकर गया था। फरियादी रवि द्वारा जयारोग्य अस्पताल ग्वालियर में देहाती नालशी लेखबद्ध करायी गयी थी। तत्पश्चात् मालनपुर में अपराध क्र. 231/13 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध विवरण निर्मित किया गया। आरोपी को अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाई व समझाई जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 23.10.13 को शाम 7 बजे शर्मा होटल के पास ग्वालियर भिण्ड रोड मालनपुर में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन स्वराज ट्रेक्टर क्र.एमपी07 एए 5607 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?

2. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर ट्रेक्टर क्र. एमपी07 एए 5607 को उपेक्षा पूर्ण तरीके से चलाते हुए आहत संतोष में टक्कर मारकर उसकी आपराधिक मानव वध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित की ?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से वीरू अ.सा. 1, फरियादी रवि अ.सा. 2, डॉक्टर निखिल अग्रवाल अ.सा. 3, राँकी जैन अ.सा. 4, सोनपालसिंह तोमर अ.सा. 5, प्रधान आरक्षक रामवरन शर्मा अ.सा. 6 एवं देवेन्द्र सिंह अ.सा. 7 को परीक्षित किया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2

7. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

8. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी रवि सिकरवार अ.सा. 2 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी फूल सिंह कुशवाह को नहीं जानता है। घटना उसके न्यायालयी कथन से लगभग दो साल पहले शाम सात बजे की है। वह और संतोष मोटरसाइकिल पर ग्वालियर से पोरसा जा रहे थे। मोटरसाइकिल को संतोष चला रहा था। शर्मा होटल के पास पंचर की दुकान से थोड़ा आगे मालनपुर में पहुंचे थे तो वहां संतोष ने कहा कि वह बाजार होकर आता है, तभी एक ट्रेक्टर ने टर्न लिया था, उसके बाद ट्रेक्टर और मोटरसाइकिल में भिड़ंत हो गयी थी। ट्रेक्टर का नंबर उसे याद नहीं है। ट्रेक्टर चालक ट्रेक्टर को रोंग साइड चलाकर लाया था।

ट्रेक्टर चालक ट्रेक्टर को काफी तेज चलाकर लागाया था। ट्रेक्टर चालकर ट्रेक्टर लेकर भाग गया था। ट्रेक्टर कौन चला रहा था, वह नहीं पहचान सकता, क्योंकि उस समय काफी अंधेरा था मौके पर काफी भीड़ इकट्ठी हो गयी थी फिर वह संतोष को एम्बूलेंस से लेकर जयारोग्य अस्पताल गया था, उसने घटना की रिपोर्ट मालनपुर में लिखाई थी जो प्रदर्श पी 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि स्वराज ट्रेक्टर क्र. एमपी07 एए 5607 के चालक ने ट्रेक्टर को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी जिससे संतोष की मृत्यु हो गयी थी। प्रतिपरीक्षण के पद क्र. 3 में उक्त साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचान पायेगा, क्योंकि उस समय रात्रि थी एवं यह भी स्वीकार किया है कि जब एक्सीडेंट हुआ था, तब वह शर्मा होटल के सामने खड़ा था।

9. साक्षी वीरू अ.सा. 1 एवं रॉकी जैन अ.सा. 4 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया है। उक्त दोनों ही साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछ जाने पर भी उक्त दोनों ही साक्षियों ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि उनके सामने स्वराज ट्रेक्टर क्र. एमपी07 एए 5607 के चालक ने ट्रेक्टर को उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी। साक्षी वीरू अ.सा. 1 ने प्रदर्श पी 1 का पुलिस कथन एवं साक्षी रॉकी जैन अ.सा. 4 ने प्रदर्श पी 6 का पुलिस कथन भी पुलिस को न देना बताया है।

10. साक्षी देवेन्द्र सिंह अ.सा. 7 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी फूलसिंह को जानता है। फूलसिंह पहले उसके यहां काम करता था। ट्रेक्टर क्र. एमपी07 एए 5607 उसका है, उससे क्या घटना हुयी थी, उसे जानकारी नहीं है। घटना के समय ट्रेक्टर कौन चला रहा था, उसे नहीं पता। कौन ड्राइवर ट्रेक्टर को चला रहा था, वह नहीं जानता है। प्रदर्श पी 10 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी फूलसिंह दिनांक 23.10.13 को उसका ट्रेक्टर चला रहा था एवं उसने मालनपुर में एक्सीडेंट किया था।

11. डॉ. निखिल अग्रवाल अ.सा. 3 ने प्रदर्श पी 5 के शव परीक्षण रिपोर्ट को प्रमाणित किया है। उपनिरीक्षक सोनपालसिंह तोमर अ.सा. 5 ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 7 को प्रमाणित किया है एवं प्रधान आरक्षक रामवरन शर्मा अ.सा. 6 ने विवेचना को प्रमाणित किया है।

12. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

13. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी रवि सिकरवार अ.सा. 2 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि वह आरोपी फूलसिंह को नहीं जानता है, उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 2 साल पहले वह मोटरसाइकिल से संतोष के साथ ग्वालियर से पोरसा जा रहा था तो शर्मा होटल के पास एक ट्रेक्टर ने टर्न लिया था और उसके बाद ट्रेक्टर और मोटरसाइकिल में भिड़ंत हो गयी थी। ट्रेक्टर का नंबर उसे याद नहीं है। ट्रेक्टर कौन चला रहा था, वह नहीं पहचान सकता, क्योंकि उस समय अंधेरा था। ट्रेक्टर चालक ट्रेक्टर को लेकर भाग गया था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि ट्रेक्टर क्र. एमपी07 एए 5607 के चालक ने ट्रेक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर मोटरसाइकिल में टक्कर मार

दी थी। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचान पायेगा, क्योंकि उस समय रात्रि थी। इस प्रकार फरियादी रवि सिकरवार अ.सा. 2 के कथनों से यह दर्शित होता है कि उक्त साक्षी ने ट्रेक्टर क. एमपी07 एए 5607 से एक्सीडेंट होना तो बताया है, परंतु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना के वक्त उक्त ट्रेक्टर को कौन चला रहा था। उक्त साक्षी द्वारा आरोपी की पहचान भी नहीं की गयी है। उक्त साक्षी द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

14. साक्षी वीरू अ.सा. 1 एवं रॉकी जैन अ.सा. 4 जिसे अभियोजन घटना का प्रत्यक्ष दर्शी साक्षी बताया गया है ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया है। उक्त दोनों ही साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर उक्त दोनों ही साक्षियों ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है। अतः उक्त साक्षीगण के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

15. साक्षी देवेन्द्र सिंह अ.सा. 7 जिसे आरोपित ट्रेक्टर क. एमपी07 एए 5607 का पंजीकृत स्वामी होना बताया है ने इस न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि आरोपी फूलसिंह उसके यहां पहले काम करता था, उसे नहीं मालूम कि घटना के वक्त उसके ट्रेक्टर को कौन चला रहा था। प्रमाणीकरण प्रदर्श पी 10 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी फूलसिंह घटना दिनांक 23.10.13 को उसका ट्रेक्टर चला रहा था एवं उसका एक्सीडेंट किया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस वालों ने उससे कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करा लिये थे। इस प्रकार देवेन्द्र सिंह अ.सा. 7 के कथनों से यह दर्शित होता है कि उक्त साक्षी द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं इस तथ्य से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी फूलसिंह आरोपित ट्रेक्टर को चला रहा था। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि प्रदर्श पी 10 पर पुलिस वालों ने कोरे कागजों पर ही उससे हस्ताक्षर करा लिये गये थे। इस प्रकार साक्षी देवेन्द्र सिंह अ.सा. 7 ने भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

16. प्रधान आरक्षक रामवरन शर्मा अ.सा. 6 जो कि विवेचक है ने अपने कथन में यह बताया है कि उसने विवेचना के दौरान आरोपी फूलसिंह से नीले रंग को स्वराज ट्रेक्टर क. एमपी07 एए 5607 जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 8 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार प्रधान आरक्षक रामवरन शर्मा अ.सा. 6 ने आरोपी फूलसिंह से प्रदर्श पी 8 के जप्ती पंचनामे के अनुसार ट्रेक्टर जप्त करना बताया है। जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 8 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि जप्ती पंचनामे पर यह वर्णित नहीं है कि पुलिस द्वारा आरोपी फूलसिंह से किस दिनांक को ट्रेक्टर जप्त किया था। ऐसी स्थिति में आरोपी से ट्रेक्टर जप्त होने मात्र से भी यह नहीं माना जा सकता है कि घटना दिनांक को आरोपित ट्रेक्टर को आरोपी फूलसिंह चला रहा था।

17. डॉ. निखिल अग्रवाला अ.सा. 3 द्वारा मृतक संतोष की शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 को प्रमाणित किया गया है एवं उपनिरीक्षक सोनपालसिंह तोमर अ.सा. 5 द्वारा प्रदर्श पी 7 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया गया है। प्रधान आरक्षक रामवरन शर्मा अ.सा. 6 द्वारा विवेचना को प्रमाणित किया गया है। उक्त साक्षी प्रकरण के औपचारिक साक्षी हैं। प्रकरण में आयी साक्ष्य को देखते हुए उक्त साक्षियों के साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

18. उपरोक्त चरणों में की गयी समग्र विवेचना से यह दर्शित होता है कि प्रकरण में फरियादी रवि सिकरवार अ.सा. 2 ने एक्सीडेंट होना तो बताया है, परंतु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना के समय दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को कौन चला रहा था। उक्त साक्षी द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। शेष साक्षी वीरू अ.सा.1, रॉकी जैन अ.सा. 4 एवं देवेन्द सिंह अ.सा. 7 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। डॉ निखिल अग्रवाल अ.सा. 3, उपनिरीक्षक सोनपालसिंह तोमर अ.सा. 5 एवं प्रधान आरक्षक रामवरन शर्मा अ.सा. 6 प्रकरण के औपचारिक साक्षी हैं। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि घटना दिनांक को आरोपित ट्रेक्टर क्र. एमपी07 एए 5607 को आरोपी फूलसिंह चला रहा था एवं आरोपी फूलसिंह ने उक्त ट्रेक्टर को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुए मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर आहत संतोष को चोट पहुंचाकर उसकी आपराधिक मानव वध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित की थी। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

19. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करे एवं यदि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपी की दोषमुक्ति उचित है।

20. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है आरोपी ने दिनांक 23.10.13 को शाम 7 बजे शर्मा होटल के पास ग्वालियर भिण्ड रोड मालनपुर में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन स्वराज ट्रेक्टर क्र. एमपी07 एए 5607 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर संतोष को चोट पहुंचाकर उसकी आपराधिक मानव वध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित की। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी फूल सिंह को भा.दं.सं. की धारा 279 एवं 304ए के आरोप से दोषमुक्त करती है।

21. आरोपी स्वतंत्र हो।

22. प्रकरण में जप्तशुदा ट्रेक्टर क्र. एमपी07 एए 5607 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी की सुर्पुदगी पर है। अतः उसके संबंध में सुर्पुदगीनामा अपील अवधि पश्चात् निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 17-01-2017

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित
कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / –
(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही / –
(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)